रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 1993/अग्रहायण 3, 1915
No. 409] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 1993/AGRAHAYANA 3, 1915

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1993

सा.का.नि. 716(अ)—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) की धारा 621 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अधिकारी श्री प्रतिपकार को उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (3), धारा 59 की उपधारा (1), धारा 73 की उपधारा (2) और (2ख), धारा 113 की उपधारा (2) और धारा 207 के अधीन दंडनीय अपराधों की बाबत प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. 10/8/87-सी. एल.-5]

आर. डी. जोशी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 1993

G.S.R. 716(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 621 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises Shri Pratip Kar, an officer of the Securities and Exchange Board of India for the purpose of that sub-section in respect of offences punishable under sub-section (3) of section 56, sub-section (1) of section 59, sub-sections (2) and (2B) of section 73, sub-section (2) of section 113 and section 207 of that Act.

[F. No. 10|8|87-CL. V]

R. D. JOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993